(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/2664 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-07-2016 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2014-15

फ्रेण्डस रूरल सेंटर रसूलिया होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद
मार्फत अध्यक्ष डेनिस जोनाथन आ. विक्टर जोनाथन
निवासी 128 एल.आई.जी.न्यास कॉलौनी इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
फ्रेण्डस रूरल सेंटर रसूलिया होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1. इंडियन चर्च कमेटी ट्रस्ट (चर्च आफ इंडिया इंगलकन)
   मार्फत सचिव सोरल बी दास आ. ऐरिक दास
   50 सिविल लाईन्स वादी उत्तर प्रदेश
   मार्फत मुख्तयारआम
   प्रकाश डिकोस्टा आ. एच.एल. डिस्कोस्टा
   निवासी 133 सी. इन्द्रपुरी, भोपाल
   तहसील व जिला भोपाल
2. जस्टिन सी. बाल्टर प्रापर्टी सचिव एवं
   विशप चर्च इंडिया ट्रस्ट नागपुर डायोसिस
3. बिनरेवल फादर हीना मसीह पुत्र नवल के मसीह
   आर्यडीकन/मेट्रजलिटिन कमिशनरी एवं सदस्य
   इंडियन/चर्च ट्रस्टीज डायनोसिस पी.बी.सी. आफ
   नागपुर सी.आई. चर्च आफ इंडिया
   निवासी कान्टर चर्च के पास
   केम्पन सी.पी.कालौनी मुरारखॉ
4. फादर जैकब जानसन दास पुत्र भागन लाल दास
   निवासी इंडियन चर्च कंपाउंड गिरजा चौक पूर्णिया बिहार .....अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1
श्री मुकेश भटेले, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2
श्री सूरज प्रताप सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 3
श्री एस.के. पाराशर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 13-07-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, होशंगाबाद के संशोधन पंजी क्रमांक 30 दिनांक 30-10-197 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के समक्ष दिनांक 20-2-2009 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 58/अ-6/2008-09 दर्ज कर दिनांक 3-3-2010 को आदेश पारित कर अपील समय बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 12-5-2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों की जांच उपरान्त गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित कर राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार संशोधन कर प्रकरण का निराकरण करें । आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2336-पीबीआर/15 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28-4-2016 को आदेश पारित कर आयुक्त का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि राजस्व मण्डल में जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है, उन सभी को पक्षकार बनाया जाकर, सुनवाई का अवसर देते हुए गुण-दोष पर अंतिम निराकरण किया जाये । इस न्यायालय आदेश के पालन में आयुक्त द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 3 व 4 द्वारा संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति को फ्रेण्डस रूरल सेन्टर के पदाधिकारी द्वारा पुरानी निर्मित

भवनों को तोड़-फोड़कर सम्पत्ति को बेची जा रही है तथा दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है । अतः प्रकरण के विचाराधीन अवस्था में तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जाकर यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिया जाये । आयुक्त द्वारा दिनांक 13-7-2017 को आदेश पारित कर अनावेदक पक्ष के आवेदन पत्र की सुनवाई हेतु प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 सहपठित 151 तथा संहिता की धारा 32 तथा 43 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क एवं अंतिम तर्क सुने गये ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर बिना विचार किये अनावेदकगण के रूप में 2 लगायत 4 के नाम लाल स्याही से जोड़ने में भूल की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सहमति नहीं दी गई है । यह भी कहा गया कि आयुक्त को यह देखना चाहिए था कि जिन व्यक्तियों को प्रत्यर्थीगण के रूप में जोड़ा जा रहा है, वे स्वयं आवेदक की ओर से दावा पेश कर रहे हैं और वे सभी मिलकर आवेदक के विरूद्ध द्वितीय अपील में कार्यवाही चाहते हैं । ऐसी स्थिति में यदि आयुक्त उन व्यक्तियों के नाम जोड़े जाना आवश्यक समझते थे तो उनके नाम अपीलार्थी क्रमांक 2 लगायत 4 के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लगायत 4 के रूप में जोड़ दिये गये हैं, जिससे द्वितीय अपील का समुचित निराकरण नहीं हो सकेगा । तर्क में यह भी कहा गया कि यथास्थिति का आदेश पारित करने की अधिकारिता मात्र व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है और बिना शपथ पत्र एवं उभय पक्ष को बगैर सुने यथास्थिति का आदेश पारित करने का कोई प्रावधान नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक पक्ष स्वयं प्रश्नाधीन सम्पत्ति आवेदक के आधिपत्य में होना स्वीकार करते हैं, ऐसी स्थिति में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदक पक्ष द्वारा यथास्थिति बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में कोई निवेदन नहीं किया गया है और यथास्थिति का आदेश पारित होने के उपरांत आवेदन पत्र में हस्तलिपि से बाद में यथास्थिति रखे जाने के कथन जोड़े गये हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा आवेदक अधिवक्ता को दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि उलब्ध अभिलेख और दस्तावेज दस्तावेज सूची से स्पष्ट है कि आवेदक को कोई दस्तावेज

उपलब्ध नहीं कराया गया है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त कर सर्वप्रथम कौन व्यक्ति अपीलार्थी के रूप में अपील चलाये रखने हेतु सक्षम है, इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कर सक्षम व्यक्ति का निर्धारण कर, फिर अपील में आवेदक को दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर द्वितीय अपील में सुनवाई किए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया ।

5/ आवेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश के प्रकाश में अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 को प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लगायत 4 के रूप में पक्षकार बनाया गया है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में जो भी दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं, उनकी प्रति आवेदक को प्रदाय की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

6/ आवेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

7/ आवेदक क्रमांक 3 व 4 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदक के पदाधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति को पुरानी निर्मित भवनों को तोड़-फोड़कर सम्पत्ति को बेची जा रही थी तथा दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा था । अतः आयुक्त द्वारा यथास्थिति के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28-4-2016 को आदेश पारित कर आयुक्त का आदेश निरस्त कर, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि राजस्व मण्डल में जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है, उन सभी को पक्षकार बनाया जाकर, सुनवाई का अवसर देते हुए गुण-दोष पर अंतिम निराकरण किया जाये । आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा राजस्व मण्डल के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 28-4-2016 के पालन में ही कार्यवाही करते हुए राजस्व मण्डल द्वारा जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है, उन सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया है । जहां तक आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है, आयुक्त द्वारा प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा

अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूंकि आयुक्त द्वारा अभी प्रकरण का अभी अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-7-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर